पूर्व मध्य रेल

समस्तीपुर मंडल

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पेंशन अदालत अधिसूचना 2022

रेलवे बोर्ड का सं0 **E(W)/2022/PA/4** दिनांक–30.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में समस्तीपुर मंडल द्वारा पेंशन परिवादों के निष्पादन के लिए दिनांक–05.05.2022 (गुरूवार) को 16:00 बजे से ऑन लाईन विडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

ऑन लाईन विडियो कॉफ्रेसिंग द्वारा आयोजित पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से संबंधित परिवाद का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में भर कर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर को दिनांक–04.05.2022 को 14:00 तक निम्न माध्यमों से इस कार्यालय को दे सकते है:–

1. **WhatsApp No.-7766907596 (SWI/SPJ)**
2. **Email ID-pensionadalatspj2022@gmail.com**
3. **By Hand -** एकल खिड़की व्यवस्था {मंरेप्र (कार्मिक) कार्यालय/समस्तीपुर}

आवेदन का प्रारूप

01. आवेदक का नाम :–
02. भू0पू0 कर्मचारी का नामः–
03. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल :–
04. भू0पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध :–
05. वर्तमान पता :–
06. सेवानिवृत्ति की तिथि :–
07. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य) :–
08. भू0पू0 कर्मचारी की मृत्यु तिथि :–
09. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान :–
10. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी :–
11. पेंशन भुगतान आदेश सं0 (**P.P.O.No.** की स्पष्ट प्रति संलग्न करें) :–
12. पेंशनर की अद्यतन बैंक खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस. कोड एवं खाता संख्या अंकित हो :–
13. परिवाद का विस्तृत विवरण (उपलब्ध साक्ष्य के साथ):–
14. **WhatsApp** न0–

पेशन संबंधी परिवाद उपरोक्त प्रारूप में भर कर दिनांक–04.05.2022 को 14:00 बजे तक उपरोक्त में दिये गये माध्यमों से प्रेषित कर सकते है। अथवा दिनांक– 05.05.2022 को अपराह्ण 16:00 से 18:00 बजे तक सीधे विडियो कॉफ्रेसिंग द्वारा इस **Video Web link://meet.google.com/jcs-hici-fzw** से जुड़ सकते हैं तथा पेंशन संबंधित परिवाद दर्ज करा सकते है।

वैसी शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन बढ़ोत्तरी आदि का पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।

नोटः– जिन रेल कर्मचारियों की पेंशन सारांशीकरण (कम्यूटेशन) की तिथि से सेवानिवृति की 15 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है पूरी होने पर पेंशन के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात बैंक/डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।

(आर0आर0लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर
दिनांक–30.04.2022

संख्याः का/207/समापक भुगतान/पेंशन अदालत/**XIII/2022**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01.महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर को सादर सूचनार्थ।
02. निजी सचिव–I /मरेप्र– मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
03. गोपनीय सहायक/ अमरेप्रI एवं अमरेप्रII– अमरेप्रI एवं अमरेप्रII महोदय के सादर सूचनार्थ।
04. वमविप्र/सम0।
05. वमवाप्र/सम0– वे कृपया इसका प्रकाशन स्थानीय समचार पत्रों में कराये जाने की व्यवस्था करें।
06. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ – वे कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।
07. कार्याधी/ईजीआरएस सेल ।
08. मंडल मंत्री – ईसीआरकेयू, अजा– अजजा एवं पेंशनर एशो0/समस्तीपुर मंडल।
09. सूचना पट्ट।

30/04/2022

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर